रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072025-264707 SG-DL-E-16072025-264707

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] No. 200] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947 DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 122 [N. C. T. D. No. 122

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

फा. सं. 7 (37) / वीसी / डीडीसीडी / 2022 / 3836.—

फा. सं. 7 (37)/वीसी/डीडीसीडी/2022/1979.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 जारी की गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतदद्वारा दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है—

- (1) इसे दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 (प्रथम संशोधन) कहा जाए।
- (2) ये दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 (प्रथम संशोधन) की राजपत्र अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।
- (3) निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

4535 DG/2025 (1)

परिच्छेद	मौजूदा प्रावधान	निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है
	ज्यानीय नेपको गाँउन की गरिलामा .	नानी न भारतीयस्मिको सँचन स्थितासः
2. संक्षिप्तीकरण	हाड़ाब्रड रस्का माडल का पारमाषा : 	हाइब्रिड आरईएससीओ मॉडल परिभाषा :
एवं	इस संरचना के अन्तर्गत, रेस्को डेवलपर	इस मॉडल का उद्देश्य रेस्को मॉडल पर सौर संयंत्र
परिभाषाएँ परिभाषाएँ	उपभोक्ता की छत को पट्टे पर लेता है,	स्थापना को उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम के माध्यम
,	और पीपीए के माध्यम से सीधे डिस्कॉम	से पूर्व निर्धारित टैरिफ पर रेस्को डेवलपर को
	को बिजली बेचता है। उपभोक्ता	सौर बिल भुगतान के साथ जोड़ना है।
	डिस्कॉम के साथ नेट-मीटरिंग अनुबंध	
	पर भी हस्ताक्षर करता है।	इस मॉडल से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ
		होगा, क्योंकि वे बिना किसी अग्रिम लागत के
		आरटीएस को अपना सकते हैं; डिस्कॉम से एक
		ही बिल के अन्तर्गत नेट—मीटरिंग लाभ प्राप्त
		कर सकते हैं।
परिच्छेद ४.४	समर आतासीय स्रोसायनियों /	समूह आवासीय सोसायटियों/ आवासीय
उपभोक्ताओं	आवासीय उपभोक्ताओं हेतु अतिरिक्त	
हेतु आर्थिक	लाभ	or maren eg entirette en r
प्रोत्साहन		
	v. 10 किलोवाट तक की आवासीय	v. 3 किलोवाट तक की आवासीय प्रणालियों
	प्रणालियों हेतु एमएनआरई द्वारा पूंजीगत	हेतु एमएनआरई द्वारा पूंजीगत सब्सिडी दिनांक
	सब्सिडी दिनांक 31 मार्च 2026 तक या	07.06.2024 के एमएनआरई कार्यालय ज्ञापन के
	एमएनआरई द्वारा समय-समय पर यथा	अनुसार या एमएनआरई द्वारा समय–समय पर
	विस्तारित / संशोधित।	यथा विस्तारित / संशोधित।
	vi 500 किलोवाट (प्रति घर 10	
	किलोवाट) तक की प्रणाली वाले समूह	vi समूह आवासीय सोसायटियों और आवासीय
	आवासीय सोसायटियों और आवासीय	कल्याण संघों हेतु ईवी चार्जिंग सहित सामान्य
	कल्याण संघों के लिए एमएनआरई द्वारा	सुविधाओं के लिए एमएनआरई द्वारा पूंजीगत
	पूंजीगत सब्सिडी दिनांक 31 मार्च 2026	सब्सिडी, 500 किलोवाट क्षमता तक (3
	तक या एमएनआरई द्वारा समय-समय	किलोवाट प्रति घर की दर से) जिसकी ऊपरी
	पर यथा विस्तारित / संशोधित।	सीमा जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत
		निवासियों द्वारा स्थापित व्यक्तिगत छत संयंत्रों
		को शामिल करती है या एमएनआरई द्वारा समय–समय पर यथा विस्तारित/संशोधित की
		जाती है।
4.4.1	viii. हाइब्रिड रेस्को के विशिष्ट मामले	viii. जबिक आरटीएस प्रणाली को अपनाना
पीढ़ी आधारित	में, जीबीआई रेस्को डेवलपर को दिया	वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए
प्रोत्साहन	जाएगा क्योंकि वे सौर संयंत्र के मालिक	स्वाभाविक रूप से लागत प्रभावी है, तो भी
(जीबीआई):	होंगे। जबिक आरटीएस प्रणाली को	पूंजीगत बाधाओं सहित कई अन्य बाधाओं के
	अपनाना वाणिज्यिक और औद्योगिक	कारण विगत 5 वर्षों में इसे अपनाने की गति
	उपभोक्ताओं के लिए स्वाभाविक रूप से लागत प्रभावी है, तो भी पूंजीगत	धीमी रही है। इसलिए, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पहली बार 200 मेगावाट के परिनियोजन हेतु
	बाधाओं सहित कई अन्य बाधाओं के	
	कारण विगत 5 वर्षों में इसे अपनाने की	

गति धीमी रही है। इसलिए, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पहली बार 200 मेगावाट के परिनियोजन हेतु अर्ली—बर्ड जीबीआई को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

4.4.2 आवासीय ग्राहकों के लिए सभी सौर परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सब्सिडी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी सौर परियोजनाओं के लिए 2,000/— रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 10,000/— रुपये प्रति उपभोक्ता तक सब्सिडी प्रदान करेगी। आरटीएस प्रणाली के चालू होने के बाद सब्सिडी उनके पहले बिजली बिल के माध्यम से दी जाएगी। आवासीय एवं जीएचएस/आरडब्ल्यूए ग्राहकों के लिए सभी सौर परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सब्सिडी:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी सौर परियोजनाओं के लिए प्रति उपभोक्ता 3 किलोवाट तक 10,000 / — रुपये प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी प्रदान करेगी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

वर्ग	
	पूंजीगत सब्सिडी
आवासीय	10,000 रुपये प्रति
परिवार	किलोवाट, अधिकतम
	सीमा 30,000 रुपये
	(जैसा कि 3 किलोवाट
	सौर संयंत्रों के लिए है)
समूह	५०० किलोवाट (३
आवासीय	किलोवाट प्रति घर की
सोसायटी /	दर से) की क्षमता तक
आवसीय	ईवी चार्जिंग जिसकी
कल्याण संघ	ऊपरी सीमा में
(जीएचएस /	जीएचएस /
आरडब्ल्यूए)	आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत
	निवासियों द्वारा स्थापित
	व्यक्तिगत छत संयंत्र भी
	शामिल करती है,
	सहित सामान्य
	सुविधाओं हेतु
	2,000 / — रुपये प्रति
	किलोवाट।

राष्ट्रीय पोर्टल (पीएमएसजी पोर्टल) के माध्यम से आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं हेतु, राज्य पूंजीगत सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उपभोक्ता को हस्तांतरित की जाएगी। डीबीटी के माध्यम से राज्य सब्सिडी को हस्तांतरित करने हेतु डेटा पीएमएसजी पोर्टल से लिया जाएगा।

यदि उपभोक्ता पीएमएसजी के बाहर छत के ऊपर सोलर स्थापित करता है, तो राज्य पंजीगत सब्सिडी भी पात्र उपभोक्ताओं पर लागू होगी। राज्य सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को हस्तांतरित जाएगी। इस मामले में, उपभोक्ता दिल्ली सोलर पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ताओं का विवरण दिल्ली सोलर पोर्टल से लिया जाएगा। यदि डिस्कॉम एक रेस्को प्लेयर के रूप में कार्य करेगा, तो नेट मीटर की स्थापना तथा डिस्कॉम द्वारा दावा प्रस्तृत करने के पं'चात डिस्कॉम को राज्य पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। परिच्छेद 4.5 (ii) दिल्ली में सभी डिस्कॉम में समस्त (ii) यदि उपभोक्ता पीएमएसजी के माध्यम से स्व्यवस्थित नए नेट मीटरिंग आवेदन नए पोर्टल के सौर प्रणाली स्थापित करना चाहता है, तो नेट प्रक्रियाएं तथा माध्यम से किए जाएंगे। उपभोक्ता अपने मीटरिंग आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल (पीएमएसजी) के सूचना माध्यम से डिस्कॉम को भेजा जाएगा। यदि सौर तक नेट-मीटरिंग आवेदनों की स्थिति को पहंच इस पोर्टल के माध्यम से टैक कर प्रणाली की स्थापना पीएमएसजी के बाहर है. तो सकते हैं। उपभोक्ता को डिस्कॉम/दिल्ली राज्य पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। भीर्श समिति परिच्छेद 5.1 हटाए गए माननीय ऊर्जा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नेतृत्व में एक शीर्ष समिति गठित की जाएगी जो नीति कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही आधार पर या जितनी बार आवश्यक हो, निगरानी करेगी। समिति को संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से नीति, इसके विवेचन तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी मामले के जवाब में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा। निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: उपाध्यक्ष, दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-सदस्य अपर मुख्य सचिव/ सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-सदस्य iii) प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-सदस्य सीईओ, राज्य डिस्कॉम iv)

सदस्य	
v) ऊर्जा विभाग द्वारा नामित चार	
उद्योग विशेषज्ञ— सदस्य	
vi) विशेष सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय	
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-सदस्य	
सचिव	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विकास पांडे, उप सचिव (ऊर्जा)

DEPARTMENT OF POWER NOTIFICATION

Delhi, the 10th July, 2025

No. F.7 (37)/VC/DDCD/2022/3836.—

No. F.7 (37)/VC/DDCD/2022/1979.—Delhi Solar Energy Policy 2023 was issued by Govt of NCT of Delhi (GNCTD) on 14th March 2024.

GNCTD hereby makes the following amendments to Delhi Solar Energy Policy 2023.

- (1) This may be called the Delhi Solar Energy Policy 2023 (First amendment).
- (2) They shall come into force from the date of issuance of Gazette Notification of Delhi Solar Energy Policy 2023 (First amendment).

(3) The following clause shall be substituted, namely:—

Para	Existing Provision	To be replaced by	
2. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS	Hybrid RESCO model Definition:	Hybrid RESCO model Definition	
	Under this structure, the RESCO developer leases the rooftop of the consumer, and sells the power directly to the Discom via a PPA. The consumer also signs a netmetering agreement with the Discom.	This model aims to combine the solar plant installation on RESCO model with solar bill payment to RESCO developer by Consumer through Discom at predetermined tariff. The model has significant benefits for consumers, as they can adopt RTS without any upfront cost; receive netmetering benefits under one bill from DISCOM.	
Para 4.4 Economic	Additional Benefits for	Additional Benefits for Group Housing	
Incentives for	Group Housing Societies/Residential	Societies / Residential Consumers	
Consumers	Consumers		
	v. Capital subsidy by		
	MNRE for residential	v. Capital subsidy by MNRE for	
	systems up to 10kW until 31st March 2026 or as	residential systems up to 3 kW as per	

	extended / amended by MNRE from time to time. vi. Capital subsidy by MNRE for group housing societies and residential welfare associations with systems up to 500kW (at 10kW per house) until 31st March 2026 or as extended/amended by MNRE from time to time.	extended/amender to time. vi.Capital subsider housing societies associations for including EV cl. Capacity(@3 kV upper limit being rooftop plants residents in the state of the subsider to th	ated 07.06.2024 or as ed by MNRE from time by MNRE for group and residential welfare or common facilities, harging, up to 500 kW way per house) with the g inclusive of individual installed by individual he GHS/RWA or as ed by MNRE from time
4.4.1	viii. In the specific case of	viii. While adop	otion of RTS system is
Generation Based Incentive (GBI):	hybrid RESCO, the GBI shall be made to the RESCO developer as they would own the solar plant. While adoption of RTS system is inherently costeffective for Commercial and industrial consumers, the uptake has been slow over the last 5 years due to a host of other constraints including capital constraints. Hence, an early-bird GBI shall also be offered for the first time for such consumers for the first 200 MW of deployment.	and industrial cobeen slow over thost of other conconstraints. Here shall also be offer	effective for commercial onsumers, the uptake has the last 5 years due to a astraints including capital ace, an early-bird GBI ered for the first time for for the first 200 MW of
4.4.2 Capital subsidy	GNCTD will provide a	Capital subsid	y for all solar projects
for all solar projects	subsidy for all solar projects at the rate of Rs.	for resident customers:	ntial &GHS/RWA
for residential customers	2,000/- per KW upto a maximum of Rs. 10,000/- per consumer. The subsidy will be passed through their first electricity bill post commissioning of RTS system.	GNCTD will provide a subsidy for all solar projects at the rate of Rs. 10,000/-per KW upto 3 KW per consumer, as given below: Category Capital Subsidy	
		Residential Households	Rs. 10,000 per kW with a ceiling limit of Rs 30,000/-(3 kW solar plants)
		Group Housing Society/ Resident Welfare Association	Rs. 2,000 per kW for common facilities, including EV charging, up to 500 kW Capacity

		(GHS/RWA) (@3 kW per house) with the upper limit being inclusive of individual rooftop plants installed by individual residents in the GHS/RWA
		For Consumer applying through National portal (PMSG portal), the State Capital subsidy will be transferred to consumer through Direct Benefit Transfer (DBT). The data for transferring the State Subsidy through DBT will be taken from the PMSG portal.
		If consumer installs the Rooftop solar outside PMSG, the State capital subsidy will also be applicable to eligible consumers. The State subsidy will be transferred through DBT to eligible consumers. In this case, the consumers will provide the details on Delhi Solar portal. The details of the consumers shall, be taken from Delhi Solar portal. If Discom will act as a RESCO player, then State capital subsidy will be given to Discom after Net meter installation and submission of claim by Discom.
Para 4.5 Streamlined Procedures and Access to Information	(ii) All new net metering applications across all DISCOMs in Delhi will be made through the new portal. Consumers can track the status of their net-metering applications through this portal.	(ii)If consumer wants to install Solar system through PMSG, Net metering application will be routed through National portal (PMSG) to Discom. If the solar system installation, outside PMSG, then the consumer will have to apply through Discom/Delhi State Portal.
Para 5.1	Apex Committee An Apex Committee will be constituted under the leadership of the Hon'ble Minister of Power, GNCTD which shall monitor the progress on policy implementation on a quarterly basis or as often as necessary. The Committee shall be entitled to issue	Deleted

clarification in response to any matter that may arise concerning the Policy, its interpretation, and its implementation, consultation concerned state government departments. The body shall be constituted of the following members: Vice Chairperson,

- Vice Chairperson,
 Dialogue and
 Development
 Commission of Delhi,
 GNCTD Member
- ii) Addl Chief Secretary/Secretary (Power), GNCTD – Member
- iii) Principal Secretary (Finance), GNCTD – Member
- iv) CEOs of State DISCOMs – Members
- v) Up to four industry experts to be nominated by Power Department, – Members
- vi) Spl Secretary (Power), GNCTD – Member Secretary

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, VIKAS PANDEY, Dy. Secy. (Power)